संख्या-127/2020/2396/26-3-2020-2944/2017

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर 2020

विषय:- **समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने हेतु शैक्षणिक कार्मिको के आवास निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-1175-76/स.क./आ.प.वि-प्रकोष्ठ(532)/ ट्रांजिट हॉस्टल/2020-21, दिनांक-15.09.2020, पत्र संख्या-3383-85/स.क./ आ.प.वि-प्रकोष्ठ(532)/ट्रांजिट हॉस्टल-बरसेंडी-अयोध्या/2019-20दिनांक-03.12.2019, पत्र संख्या-3380-82/स.क./आ.प.वि-प्रकोष्ठ(532)/ ट्रांजिट हॉस्टल-मऊ घनश्यामपुर-अयोध्या/ 2019-20 दिनांक-03.12.2019, पत्र संख्या-2022-25/स.क./ आ.प.वि-प्रकोष्ठ (532)/ट्रांजिट हॉस्टल/2019-20 दिनांक-16.10.2019, पत्र संख्या-1851-54/स.क./आ.प.वि-प्रकोष्ठ (532)/ ट्रांजिट हॉस्टल/2019-20 दिनांक-26.09.2019 एवं पत्र संख्या-1779-81/स.क./आ.प.वि-प्रकोष्ठ (532)/ट्रांजिट हॉस्टल/2019-20 दिनांक-17.08.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 में संचालित योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि **रूपया-8000.00 लाख** के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्रति विद्यालय रू0-58.33 लाख की दर से 09 विद्यालयों हेतु **कुल धनराशि रू0-524.97 लाख (रूपये-पांच करोड़ चौबीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपया लाख में)

क.सं	विद्यालय का नाम	आगणित धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में प्रस्तावित धनराशि
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रया भदोही।	291.67	58.33
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, ग्यासपुर जौनपुर।	291.67	58.33
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, परसिया, मिर्जापुर।	291.67	58.33
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मऊ घनश्यापुर, फैजाबाद।	291.67	58.33
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रहीमाबाद, सीतापुर।	291.67	58.33
6	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बरसेन्डी, फैजाबाद।	291.67	58.33
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कादीपुर, सुल्तानपुर।	291.67	58.33
8	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रैन, रायबरेली।	291.67	58.33
9	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चकिया चन्दौली।	291.67	58.33
	योग	**2625.03**	**524.97**

(रूपये–पांच करोड़ चौबीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(10)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल, 2020, 18 मई, 2020 तथा 29 सितम्बर, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्ता कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(12)-उक्त धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्थाओं से थर्ड पार्टी जाॅच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृसं0-127 /2020/2396 (1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, चन्दौली।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।